Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 213 - 2016/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, DECEMBER 28, 2016 (PAUSA 7, 1938 SAKA)

हरियाणा सरकार

न्याय प्रशासन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 28 दिसम्बर, 2016

संख्या 18/25/2012–3जे०जे०(I).– वक्फ अधिनियम, 1995 (1995 का केन्द्रीय अधिनियम 43), की धारा 83 की उपधारा (4क) तथा धारा 109 की उप–धारा (2) के खण्ड (गगपप क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा वक्फ अधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति के निबन्धनों तथा शर्तों से संबधित निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

संक्षिप्त नाम।

1- ये नियम हरियाणा राज्य वक्फ अधिकरण (सदस्यों की नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें) नियम, 2016, कहे जा सकते हैं।

परिभाषाएं।

2- (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) ''अधिनियम'' से अभिप्राय हैं, वक्फ अधिनियम, 1995 (1995 का केन्द्रीय अधिनियम 43);

(ख) ''समिति'' से अभिप्राय हैं, इन नियमों के नियम 3 के उप–नियम (2) के अधीन गठित समिति;

(ग) ''उपाधि'' से अभिप्राय है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की उपाधि;

(घ) ''राज्य न्यायालय'' से अभिप्राय हैं, हरियाणा राज्य की सरकार;

(ड) ''उच्च न्यायालय'' से अभिप्राय हैं, माननीय पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़;

(च) ''सदस्य'' से अभिप्राय हैं, वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 83 के अधीन गठित हरियाणा राज्य वक्फ अधिनियम का सदस्य ;

(छ) ''अधिकरण'' से अभिप्राय हैं, हरियाणा राज्य वक्फ अधिकरण;

(2) इन नियमों में प्रयुक्त किन्तु, अपरिभाषित तथा अधिनियम में परिभाषित शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे, जो क्रमशः अधिनियम में उन्हे दिए गए हैं तथा जहां लागू हो, इसमें बहुवचन तथा विपर्ययेन भी शामिल हैं।

वक्फ अधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें।

3- (1) अधिनियम की धारा 83 की उप–धारा (4) के खण्ड (ख) के अधीन सदस्य की नियुक्ति स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति के आधार पर की जाएगी। इस खण्ड के अधीन इस प्रकार नियुक्त सदस्य, न्याय प्रशासन विभाग, गृह मन्त्रालय, हरियाणा सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन होगा।

(2) अधिनियम की धारा 83 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) के अधीन सदस्य का चयन निम्नलिखित सदस्यों को मिलाकर राज्य सरकार द्वारा गठित समिति द्वारा किया जाएगाः–

(क)	अपर मुख्य सचिव, न्याय प्रशासन विभाग, गृह मन्त्रालय	अध्यक्ष
(ख)	अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग	सदस्य
(ग)	विख्यात इस्लामिक विद्वान	सदस्य

(3) कोई भी व्यक्ति अधिनियम की धारा 83 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) के अधीन सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक योग्य नहीं होगा, जब तक वह किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि या समकक्ष उपाधि न रखता हो तथा इस्लामिक कानून तथा न्यायशास्त्र का ज्ञान न रखता हो। उर्दू तथा अरबी का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को इस खण्ड के अधीन प्राथमिकता दी जाएगी।

(4) अधिनियंम की धारा 83 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) के अधीन अधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्ति, कम से कम एक प्रचलित प्रत्येक राष्ट्रीय उर्दू तथा अग्रेजी के समाचार पत्र तथा दो प्रादेशिक उर्दू तथा अग्रेंजी के समाचार पत्रों में प्रकाशन द्वारा इच्छुक व्यक्तियों के आवेदन पत्र आमंत्रित करके, की जाएगी।

(5) चालीस वर्ष की आयु से नीचे तथा पैंसठ वर्ष की आयु से ऊपर का कोई भी व्यक्ति अधिनियम की धारा 83 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

वेतन तथा भत्ते।

4- अधिनियंम की धारा 83 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) के अधीन नियुक्त सदस्य, श्रेणी–I राजपत्रित अधिकारी (वेतन बैंड– III, ग्रेड) के लिए राज्य सरकार के मानदण्डों के अनुसार, यात्रा भत्ते/दैनियक भत्ते सहित प्रति दिन प्रति बैठक दो हजार रुपये का मानदेय प्राप्त करने का हकदार होगा।

बैठक का स्थान।

5- अधिकरण के लिए बैठने तथा कारबार करने का स्थान अधिकरण के अध्यक्ष का कोर्ट रूम या सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य स्थान होगा।

अधिकरण के सदस्य की पदावधि।

6- अधिनियम की धारा 83 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) के अधीन नियुक्त अधिकरण के सदस्य की पदावधि, नियुक्ति की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए होगी, जो आगे दो वर्ष की अवधि के लिए बढाई जा सकती है।

अधिकरण के सदस्य का हटाया जाना।

7- अधिनियम की धारा 83 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) के अधीन नियुक्त अधिकरण के सदस्य को राज्य सरकार हटा सकती हैं, यदि वह,–

(क) विकृतचित्त का व्यक्ति पाया जाता हैं;

(ख) अनुन्मोचित दिवालिया हैं;

(ग) नैतिक अद्यमता वाले अपराध का दोषी ठहराया गया है तथा ऐसी दोषसिद्धि उलटी नहीं गई हैं या ऐसे अपराध के सम्बन्ध में पूर्ण क्षमा प्रदान नहीं की गई हैं;

(घ) कार्य के लिए इंकार करता है या कार्य करने में अक्षम है या ऐसी रीति में कार्य करता हैं, जिसे सरकार किसी स्पष्टीकरण, जो वह पेश करता है को सुनने के बाद, अधिकरण के हित के लिए प्रतिकूल समझे।

सदस्य का लोक सेवक समझा जाना।

8- अधिकरण के सदस्य लोक सेवक के रूप में समझे जाएंगे तथा उनके विरुद्ध किसी भी बात के सम्बन्ध में, जो इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई है या की जाने के लिए आशयित है, कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

राम निवास,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
न्याय प्रशासन विभाग।

दिनांक 22 दिसम्बर, 2016

HARYANA GOVERNMENT

ADMINISTRATION OF JUSTICE DEPARTMENT

Notification

The 28th December, 2016

No.18/25/2012-3JJ(1).— In exercise of the powers conferred by sub-section (4A) of Section 83 clause (xxiia) of sub-section (2) of Section 109 of the Waqf Act, 1995 (Central Act 43 of 1995), the Governor of Haryana hereby makes the following rules regarding the terms and conditions of appointment of members of the Haryana Waqf Tribunal, namely:-

Short title.

1. These rules may be called the Haryana State Waqf Tribunals (Term and Conditions of appointment of members) Rules, 2016.

Definitions.

2. (1) in these rules, unless the context otherwise requires;

(a) **"Act"** means the Waqf Act, 1995 (Central Act 43 of 1995);

(b) **"committee"** means the committee constituted under sub-rule (2) of rules 3 of these rules;

(c) **"degree"** means a degree of a recognized university;

(d) **"State Government"** means the Government of the State of Haryana;

(e) **"High Court"** means the Hon'ble High Court of Punjab and Haryana at Chandigarh;

(f) **"member"** means the member of Haryana State Waqf Tribunal constitution under section 83 of the Waqf Act,1995;

(g) **"Tribunal"** means the Haryana State Waqf Tribunal.

(2) Words and expressions used but not defined in these rules and defined in the Act shall have same meaning as respectively assigned to them in the Act and wherever applicable, the same includes the plural and vice-versa.

Term and condition of appointment of Members of Tribunal.

3. (1) The appointment of a member under clause (b) of sub-section (4) of section 83 of the Act, shall be on transfer or deputation basis. The member so appointed under this clause shall be under the administrative control of the Administration of Justice Department Ministry of Home, Government of Haryana.

(2) The selection of a member under clause (c) of sub-section (4) of section 83 of the Act shall be made by a committee constituted by the State Government consisting of following members:-

(a)	Additional Chief Secretary, Administration of Justice Department, Ministry of Home	Chairman
(b)	Additional Chief Secretary,Revenue Department	Member
(c)	Renowned Islamic Scholar	Member

(3) A person shall not be qualified for appointment as a member under clause (c) of sub-section (4) of Section 83 of the Act unless he possesses a degree in Law or equivalent degree from a recognized university and knowledge of Islamic Law and Jurisprudence. A person having knowledge of Urdu and Arabic shall be given preference in selection under this clause.

(4) The appointment as a member of the Tribunal under clause (c) of sub-section (4) of Section 83 of the Act shall be made by inviting application from the interested persons by publishing in at least one leading national Urdu and English Newspaper each and two regional Urdu and English news papers each.

(5) A person below forty years of age and above sixty five years of age shall not be eligible for appointment under clause (c) of sub-section (4) of section 83 of the Act.

Pay and allowances.

4. The Member appointed under clause (c) of sub-section (4) of Section 83 of the Act shall be entitled to get honorarium of Two thousand rupees per sitting, per day along with TA/DA as per State Government norms for a Class -I Government officer (PB-III grade).

Place of sitting.

5. The place of sitting and doing business for Tribunal shall be the court room of the Chairman of the Tribunal or any other place specified by the State Government.

Term of office of members of Tribunal.

6. The term of office of the members of the Tribunal appointed under clause (c) of sub-section (4) of section 83 of the Act shall be of three years from the date of appointment which may be further extended for a period of two years.

Removal of member of Tribunal.

7. The State Government may remove the member of the Tribunal appointed under clause (c) of sub-section 4 of section 83 of the Act, if he;

(a) is found to be a person of unsound mind;

(b) is an undischarged Insolvent;

(c) has been convicted of an offence involving moral turpitude and such conviction has not been reversed or he has not been granted full pardon in respect of such offence;

(d) refuses to act or is incapable of acting or acts in a manner which the State Government, after hearing any explanation that he may offer, considers to be detrimental to the interest of the Tribunal;

Member deemed to be public servant.

8. The Members of Tribunal shall be deemed to be a public servant and no suit or other legal proceedings shall lie against in respect of anything which is in good faith done or intended to be done under the Act.

RAM NIWAS,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Administration of Justice Department.

The 22nd December, 2016

54875—C.S.—H.G.P., Chd.